उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे०मि० रिविजन वाद सं०– 02/2016–17

सिताबी मरीक .... आवेदक

बनाम

कैलाश मरीक एवं अन्य .... विपक्षी

।। आदेश ।।

27/07/2016 यह रे०मि० रिविजन वाद सं० 02/16–17 सिताबी मरीक बनाम कैलाश मरीक एवं अन्य, मौजा हेठरंगनी अंचल जामा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी०ए० वाद सं० 96/14–15 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक गैंजर खतियान के प्रधान सुहावी मरीक के पोता है। अतः इसका दावा प्रधान पद पर धारा 06 के अन्तर्गत बनता है, क्योंकि विपक्षी गैंजर खतियान के प्रधान के वंशज के अन्तर्गत नहीं आते है। विपक्षी के नियुक्ति के पूर्व 16/– रैयतों को विधिवत ढोल–सोहरत के साथ नोटिस का तामिला नहीं किया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक को सुने बिना एवं प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी मौजा के अंतिम प्रधान के पुत्र है। अतः गैंजर प्रधान के वंशज के आधार पर आवेदक द्वारा प्रधान पद पर दावा करना गलत है। नोटिस का तामिला विधिवत सही तरीके से किया गया है एवं प्रतिवेदन भी प्राप्त है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु गैंजर प्रधान के वंशज के आधार पर सं०प० काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया है जबकि विपक्षी द्वारा अंतिम प्रधान किसन प्र० मरीक (जिसकी मृत्यु दिनांक 23.01.2015 को हो चुकी है) के पुत्र होने के नाते सं०प० काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा भी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा के अंतिम प्रधान किसन प्रसाद मरीक थे जिनकी मृत्यु दिनांक 23.01.2015 को हो चुकी है। विपक्षी अंतिम प्रधान के जेष्ठ पुत्र है एवं उन्हें सं०प० काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त [illegible]

06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। अभिलेख में उपलब्ध 16/– रैयतों पर निर्गत नोटिस का तामिला के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नोटिस का तामिला ढोल–सोहरत के साथ विधिवत किया गया है। आवेदक का दावा प्रधान पद पर गैंजर प्रधान के वंशज होने के नाते है जबकि विपक्षी के पिता के प्रधान पद पर नियुक्ति होने के पश्चात आवेदक का दावा धारा 06 के अन्तर्गत स्वतः समाप्त हो जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।